संख्या-44/2025/ 3467/001-54-2002-099-11-2022

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0) के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक-738/बा0वि0परि0/लेखा/2025-26, दिनांक 24 सितम्बर, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0) के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में कुल प्रावधानित धनराशि 15922.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रु0 861.90 लाख एवं राज्यांश रू0 574.60 लाख अर्थात कुल रू0 1436.50 लाख (रू0 चौदह करोड़ छत्तीस लाख पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है :-

1. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश की होगी।

6. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

7. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है । बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

8. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किस्तों में किया जायेगा।

9. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

10. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

11. परियोजना की लागत में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

13. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

14. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, आईसीडीएस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, आईसीडीएस का होगा।

15. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

16. योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. प्रश्नगत योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

18. प्रश्नागत योजनान्तरर्गत भारत सरकार से विगत वर्षों में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्धन होने के संबंध में निदेशक, आईसीडीएस स्वस्तर से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

19. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। निर्माण कार्य की कार्यवाही शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 व शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12, दिनांक 19.10.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

20. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

21. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

22. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

23. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।

24. प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा। योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

25. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

26. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टा हार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

27. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्तयर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त, केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी ।

28. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर केन्द्रांश प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में केन्द्रांश प्राप्त होने में विलम्ब की दशा में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा वितीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की अवशेष अव्ययित (unspent) धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अवमुक्त राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में, अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी।

29. पी.एफ.एम.एस. डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- F.No.1(13)PFMS/FCD/2020, दिनाँक 23 मार्च, 2021 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में दिनाँक 01 जुलाई, 2021 से एस.एन.ए. माड्यूल लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देश, उक्त योजनाओं के संगत राज्यांश पर भी लागू होंगे, जिसका सम्पू र्ण अनुपालन का दायित्व, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

30. धनराशि का निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार/ विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

31. निदेशक, बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, बाल विकास सेवा पुष्टाहार स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

32. केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। वे कृपया यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार/ अन्य संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो ।

33. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,36,50,000 (रुपये चौदह करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 4235021020103 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+ रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-75-X-2025-26 दिनांक-14.10.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-44/2025/3467(1)//001-54-2002-099-11-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
9.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।